अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1832(अ).—जबकि आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 सितम्बर,2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 901 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री चन्द्राचार्या धर्मार्थ चिकित्सालय ट्रस्ट, अमरकंटक, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) द्वारा अमरकंटक, जिला सहडोल (मध्य प्रदेश) में श्री चंद्राचार्या चैरिटेबल हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेन्टर में औजारों, वेन, रोगी वाहन की खरीद साजसज्जा और त्वचा,कैंसर जैसी बिमारियों के लिए जड़ी बुटियों और आयुर्वेदिक दवाइयों में अनुसंधान केन्द्र और चिकित्सा सेवाओं को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 14 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 3 फरवरी,2006 की अधिसूचना सं0 143 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के चार वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चन्द्राचार्या धर्मार्थ चिकित्सालय ट्रस्ट, अमरकंटक, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) द्वारा अमरकंटक, जिला सहडोल (मध्य प्रदेश) में श्री चंद्राचार्या चैरिटेबल हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेन्टर में औजारों, वेन, रोगी वाहन की खरीद साजसज्जा और त्वचा,कैंसर जैसी बिमारियों के लिए जड़ी बुटियों और आयुर्वेदिक दवाइयों में अनुसंधान केन्द्र और चिकित्सा सेवाओं को चलाने की परियोजना या स्कीम को 227.72 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 299/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)